न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 30/2017

1—रतिराम पुत्र पिथाराम
2—भगवानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी शिमला तहसील लाडनूं जिला नागौर, राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार ,लाडनूं जिला नागौर राजस्थान।

2—छोटी देवी पत्नी नेमाराम जाति जाट निवासी शिमला तहसील लाडनूं, जिला नागौर

राजस्थान ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1—श्री ओम प्रकाश मोठ व कमल किशोर मोठ अधिवक्तागण, अपीलान्ट

2—श्री मोहम्मद इकबाल व सैयद अल्ताफ हुसैन अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लाडनूं प्रकरण संख्या 1/11 बअनुवान रतिराम वगैराह बनाम छोटी देवी निर्णय दिनांक 24.01.2017.

निर्णय

दिनांक— 31.01.2019

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अपीलार्थी की ओर से संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है:—

यह है कि अपीलान्ट ने एक आवेदन सरपंच, ग्राम पंचायत छपारा में इस आशय का पेश किया कि गुणपालिया से सांवराद जाने वाले रास्ते से अपने अपने खेतों में जाते है, उक्त खेतों में से खसरा नम्बर 224 की खातेदार छोटी देवी ने उक्त रास्ता दोनों ओर से बन्द कर दिया है, उक्त रास्ता कदीम से रास्ता है, इसे खुलवाने की कृपा करावें। यह है कि इसके बाद में उक्त रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय लाडनूं को लिखा तो उन्होंने तहसीलदार, लाडनूं को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कहा, तब तहसीलदार लाडनूं ने दिनांक 31.07.2011 को उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत दर्ज कर रेस्पोडेन्ट नं0 2 को नोटिस दिया एवम नोटिस देने के बाद में रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से वकील भी आया एवम दिनांक 07.09.2012 को अपीलान्ट की ओर से कई गवाहो के बयान भी करवाये गये, इसके बाद में में पत्रावली वास्ते साक्ष्य रेस्पोडेन्ट नं0 2 के लिए रखी ई । कई अवसर देने के बाद भी उसकी ओर से कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ। तो साक्ष्य बन्द कर दी गई एवम वास्ते बहस के लिए भी पत्रावली कई दिनों तक चली एवम रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर दिया एवम उसके बाद में उक्त पत्रावली को ट्रांसफर करने का आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया एवम पेशीयाँ लेते रहे । अन्तमें दिनांक 24.01.2017 को रेस्पोडेन्ट नं0 01 ने बिना सुनवाई किये उक्त प्रकरण 251 ए आ.टी.एक्ट का मानकर अपीलान्टस का उक्त आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर के यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

—: अपील के आधार :—

(1) यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का कतई विवेचन नहीं करते हुये जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(2) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पवत्रवली पर आये नक्शा मौका व पटवारी की रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट है कि रास्ता मौजूद है, किन्तु खसरा नम्बर 224 के पास में बन्द किया हुआ है, उक्त तथ्यों का भी कोई विवेचन उक्त निर्णय में नहीं किया गया है। जिस कारण से उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(3) यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2017 में यह माना है कि उक्त प्रार्थना पत्र 251 आर.टी.एक्ट में पेश किया गया है, जबकि अब उक्त प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया जाना चाहिये था। जबकि 251 आर.टी.एक्ट में प्रावधान है कि रास्ता का अस्तित्व में होना व भोग–उपभोग करना जरूरी है, जो पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है, जबकि 251ए में जब कोई रास्ता अस्तित्व में न हो और खेतों के कोई रास्ता न लगता हो तब 251ए की कार्वाही की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य समझने में भारी भूल की है, जिस कारण से उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में न्याय के सर्वमान्य व सामान्य सिद्धान्तों की स्पष्ट अवहेलना की है, जिस कारण से उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

(6) यह है कि अपील अन्दर मयाद व क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 24.01.2017 को पारित निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

अपीलान्ट की ओर से यह अपील विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनाक 20.02.2017 को पेश की गयी। जो दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 8.03.2017 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नोटिस तामील शुदा प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद इकबाल व अल्ताफ हुसैन ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामील मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की गुणपालिया गूणपालिया से यह ये रास्ता कट्टाणी है परन्तु शिमला में कटाणी रास्ता नही है। छोटी देवी ने खसरा नम्बर 370/224 रास्ता रोक दिया है जबकी रास्ता कदीमी से चला आ रहा है। रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अप्रार्थी ने उपरोक्त राबन्द नहीं किया है एवं न ही नेमाराम के नाम कोई इस खसरान की भूमि में खेत है यानि खसरा नम्बर 224 नेमाराम का नही है एव न ही इस दिशा में कटाण संबंधी कोई रास्ता है अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटी नही की है।

मौजा ग्राम पंचायत छपारा के अपने आवेदन दिनांक 9.12.2010 के द्वारा बताया गया कि रतीराम व भगवानाराम वगैरा बनाम श्रीमती छोटीदेवी ग्राम शिमला की अवरूद्ध रास्ता को खुलवाने व कटाण करवाने का आवेदन लम्बित है ग्राम गुणपालिया से ये रास्ता कटाणी है परन्तु ग्राम शिमला की कांकड़ में रास्ता कटाण का नही है पुरानी कदीमी रास्ता चलता था जिसे खसरा नम्बर 370/224 में छोटी देवी ने रोक दिया था । इस रास्ता को रोकने से काश्तकारों को बहुत परेशानी होती हे। इस रास्ते को खुलवाने व कटाण करने की सिफारिश ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(नागौर)

पंचायत ने की है आवेदन पर कार्यवाही करावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 29.10.2010 की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुणपालिया से सावंराद कटाणी व कदीमी रास्ते का मौका जांच व माप किया गया। ग्राम गुणपालिया से सावराद का यह रास्ता ग्राम गुणपालिया की सरहद में शिमला सीमा तक कटाणी व रिकोर्डेड है,तथा ग्राम शिमला खसरां0 206 से ख0नं0 247 तक रास्ता कदीमी है नक्शे में कटाण नही है। वर्तमान में खसरा सं0 370/224 में खतेदार छोटी देवी पत्नी नेमाराम जाति जाट निवासी शिमला द्वारा बाधित किया हुआ है । शेष खसरो में रास्ता कदीमी व चालू हालात में है। मौका जॉच रिपोर्ट पर पटवारी बल्दु द्वारा हस्ताक्षर कर पेश की हुई है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय अनसार प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत छपारा ने रास्ता खुलाने व कटाण करने की अभिशषां की है। तत्समय धारा 251 प्रभाव में थी। वतमान में राज्य सरकार ने दिनांक 18.01.2012 को धारा 251 को संशोधित कर धारा 251 ए पतिस्थापित की है। धारा 251 ए आ0टी0एक्ट काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध करवाने का अधिकार प्राप्त करती है। चूंकि रास्ता को कटाण घोषित करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है, इसलिए पंचायत की अभिशषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र 251 आर.टी.एक्ट में पेश किया गया है। पटवारी बल्दु की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.10 में कदीमी रास्ता 370/224 व अन्य खसरो में से होकर गुजरना बताया है जबकी खातेदार छोटी देवी पत्नी नेमाराम जाति जाट निवासी शिमला द्वारा रास्ता बन्द कर बाधित किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना 251 ए के तहत मानकर निर्णय किया गया है। 251 आर.टी.एक्ट में प्रावधान है कि रास्ता का अस्तित्व में होना व भोग उपभोग करना जरूरी है, जो पटवारी की रिपार्ट से स्पष्ट है, जबकि 251 ए में जब कोई रास्ता अस्तित्व में न

हो और खेतों के कोई रास्ता न लगता हो तब 251 ए की कार्यवाही की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य समझने में भारी भूल की है अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट की सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर विधी सम्मत निर्णय पारित करे।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक. 31.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.19

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)